(571)

निविदा सूचना

44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ के परिसर में वित्तीय वर्ष 2024–25 में फलों का जूस एवं फल इत्यादि बेचने के लिये जूस काउण्टर हेतु सील बन्द लिफाफे में अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाते है–

जूस काउण्टर को ठेके पर लिये जाने हेतु सील बन्द निविदाये मुहर बन्द लिफाफे में दिनांक 25.06.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहियें, लिफाफे के ऊपर जूस काउण्टर के लिये टेण्डर लिखा होना चाहिये, विलम्ब से अथवा अधूरी प्राप्त होने वाली निविदाये स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा निर्धारित प्रपत्र, जो 44वीं वाहिनी पीएसी, मेरठ के अन्तर्गत प्रधान लिपिक शाखा से नकद रू0–400/– एवं निर्धारित देय 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जमा का भुगतान प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है, निविदा निर्धारित प्रपत्र, पर होनी आवश्यक है, जो तददिनांक को दोपहर 02:00 बजे कार्यालय में वाहिनी के उपलब्ध राजपत्रित अधिकारी द्वारा खोली जायेगी।

सेनानायक को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा, कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते है। अस्वीकार की गयी निविदा के लिये कारण बताने के लिये बाध्य नही होगें। प्रत्येक निविदा के साथ रू0–5000/– अर्नेस्ट मनी के रूप में संलग्न करना होगा। जिस व्यक्ति की निविदा स्वीकार होगी, उसे सूचना दिये जाने के एक सप्ताह के अन्दर (एग्रीमेन्ट डीड) नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भरना होगा। जिसके प्रतिबन्धो के लिये वह बाध्य होगा ।

स्वीकृत निविदा वाले व्यक्ति को सूचना के एक सप्ताह के अन्दर धनराशि रू0– 5000/– बतौर जमानत के वाहिनी मेनिटीज फण्ड में आंकिक के पास जमा करनी होगी। यदि निविदा स्वीकृत होने के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर–पत्र (एग्रीमेन्ट डीड) नही भरता है अथवा जमानत की धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुये दूसरे व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जा सकती है अथवा पुनः निविदा आमन्त्रित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में सेनानायक जो उचित समझे कार्यवाही कर सकते है।

I/c website

जूस काउण्टर ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि ठेकेदार जूस काउण्टर बन्द करता है, तो ठेकेदार के द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट के आधार पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

निविदा की शर्ते

1– फलों की क्वालिटी एवं कीमत प्रत्येक माह वाहिनी के राजपत्रित अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही विक्रय की जा सकेगी।

18/6/24

2– किसी नशीले पदार्थ गुटका/सिगरेट/बीडी/तम्बाकू आदि का विक्रय नही किया जायेगा।

3– ठेका मिलने वाले व्यक्ति को बटालियन एमेनिटीज फण्ड रिबेट नही होगा। रिबेट देने वाले ठेकेदार की निविदा स्वीकृति पर सेनानायक द्वारा विचार किया जायेगा।

4– ठेकेदार जूस काउण्टर में ताजे फलों का प्रयोग करने के लिये बाध्य होगा। इसमें किसी प्रकार की अनियमितता का दोषी पाये जाने पर ठेकेदार का ठेका निरस्त किया जा सकता है।

5– ठेकेदार को निम्न शर्तो पर आधारित फार्म भरना होगा। इस लिये वही व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करें जिनको शर्ते स्वीकार होगी:–

रिबेट की धनराशि	रू0– 10,000/– प्रतिमाह की दर से कम नहीं होगी।
भूमि का किराया–	रू0– 300–00 प्रतिमाह
स्वीपर/कूड़ा निस्तारण चार्ज	रू0– 300–00 प्रतिमाह
पानी चार्ज	रू0– 300–00 प्रतिमाह

बिजली चार्जेज मीटर रीडिग की व्यवसायिक दर से प्रतिमाह देना होगा।

6– उक्त काउण्टर का ठेका निविदा के स्वीकृति के दिनांक से 31.03.2025 तक रहेगा।

7–ठेकेदार उक्त काउण्टर में एवं उसके आस–पास किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन सेनानायक की पूर्व अनुमति के बिना नही करेगा।

8– ठेकेदार काउण्टर एवं उसके आस–पास–स्वच्छता बनाये रखेगा। प्रतिबन्धित प्लास्टिक ग्लास/पॉलिथिन का प्रयोग नहीं करेगा।

9– ठेकेदार काउण्टर में किसी अधिकारी/कर्मचारी का व्यक्तिगत कच्चा अथवा पक्का सामान या आपत्तिजनक वस्तु नही बेचेगा।

10– जूस काउण्टर में कोई नशीली वस्तु तस्कर का सामान, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक सामान या अन्य आपत्तिजनक सामान नही बेचेगा।

11– ठेकेदार एक माह में मुख्य आरक्षी/आरक्षी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मियो को रू0–400–00 प्रतिमाह एवं दलनायक/गुल्मनायक को रू0–500–00 प्रतिमाह से अधिक धनराशि का सामान उधार नही देगा। यदि देता है तो उसकी जिम्मेदारी वाहिनी के किसी अधिकारी की नही होगी।

12– काउण्टर पर कोई भी रोगग्रस्त व्यक्ति नौकर के रूप में नही रखेगा।

13– काउण्टर खुले होने पर सेनानायक अथवा वाहिनी के अन्य राजपत्रित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के काउण्टर का निरीक्षण कर सकते है।

14– ठेकेदार काउण्टर में उपलब्ध फलो एवं जूसों की एक सूची काउण्टर में लगायेगा।

15– ठेकेदार काउण्टर का ठेका किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा।

16–ठेकेदार अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है , खराब फल/जूस बेचता है , अधिक रेट पर सामान बैचने की शिकायत मिलती है, वाहिनी में प्रचलित नियमो को तोडता है, प्रशासनिक आदेशो का उल्लंघन करता है या ऐसा करने के लिये किसी कर्मचारी को बढावा देता है तो सेनानायक को अधिकार होगा कि ठेकेदार के विरूद्व रू0–500–00 तक जुर्माना कर सकता है। ठेकेदार काउण्टर ठेके की निर्धारित अवधि से पूर्व यदि कैन्टीन समाप्त करता है तो ठेकेदार के द्वारा जमा की गई जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

20– प्रत्येक ठेकेदार अपने–अपने टेण्डर के साथ अपना चरित्र प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत होना चाहिये।

21– कोविड–19 के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करेगा।

पत्रांकः क– 01/2023

दिनांक 12 –06–2024

सेनानायक

44वीं वाहिनी पीएसी

मेरठ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– पुलिस उप महानिरीक्षक, तकनीकी सेवाऐ पुलिस तकनीकी सेवाये मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त टेण्डर नोटिस का विज्ञापन पुलिस विभाग की बेबसाईड पर प्रकाशित कराने की कृपा करें।

2–पुलिस महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

3– जिलाधिकारी, मेरठ।

4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ/गाजियाबाद/गौतमबुद्वनगर/बुलन्दशहर/बागपत/हापुड/शामली/मुजफ्फरनगर एंवं सहारनपुर।

5– जिला सूचना अधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एवं स्थानीय अखबार में निःशुल्क प्रकाशन कराने हेतु ।

6– सेनानायक 6/41/47/49वीं वाहिनी पीएसी।

7– ठेकेदार श्री विशाल कुमार सक्सेना पुत्र श्री रामान्द, निवासी एल–1069 शास्त्री नगर मेरठ।

8– ठेकेदार श्री भैयालाल पुत्र श्री प्रभाती लाल, बी–864 सैनिक विहार, ककंरखेडा मेरठ।

9– ठेकेदार श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, म0नं0––14न्यू हनुमानपुरी, एस0के0रोड, मेरठ।

10–ठेकेदार श्री नानक मित्तल, सिगनल रेजीमेन्ट मेरठ कैण्ट मेरठ।

11– ठेकेदार श्री कान्तीलाल ,इन्जीनियरिंग वर्कशाप मेरठ कैन्ट मेरठ।

12– ठेकेदार श्री जगमोहन बंसल, बंसल कैन्टीन रजबन मेरठ।

13– ठेकेदार श्री सुदेश मलिक, जागृति बिहार, मेडिकल कालेज के सामने, मेरठ।

14– ठेकेदार श्री उमाशंकर गोयल, बेगा इन्टरप्राईजेज दिल्ली रोड मेरठ।

15– ठेकेदार कैन्टीन 6पीएसी, मेरठ।

16– ठेकेदार श्री बंजरग लाल शर्मा पुत्र श्री नत्थूलाल, निवासी नागला बनेटी जयपुर राजस्थान।

17– केन्टीन ठेकेदार पी0टी0एस0/ पुलिस लाइन मेरठ।

18– ठेकेदार श्री गहेन्द्र सिंह, ग्राम काजीपुर थाना खरखौदा डाक घोसीपुर तहसील मेरठ ।

19–शिविरपाल/प्रधान लिपिक/आंकिक, 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

20–श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री पवन कुमार शर्मा, गाव–बनेठी, तहसील–कोटपुतली जिला–जयपुर (राजस्थान)